//प्रेस–विज्ञप्ति//

–: जिला एवं सत्र न्यायालय, बलौदाबाजार के नाम से फर्जी नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के संबंध में खण्डन :–

किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, बलौदाबाजार की ओर से अध्यक्ष, चयन समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार (छ.ग.) की फर्जी पदमुद्रा एवं फर्जी हस्ताक्षर से व्यवहार न्यायालय कसडोल, बिलाईगढ़, भटगांव एवं सिमगा में सहायक ग्रेड–2, सहायक ग्रेड–3, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं भृत्य के पद हेतु फर्जी नियुक्ति आदेश जारी किया गया है । उक्त फर्जी नियुक्ति आदेश का सम्बन्ध जिला एवं सत्र न्यायालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) से नहीं है । जिला एवं सत्र न्यायालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा उपरोक्त पदों पर नियुक्ति/भर्ती हेतु किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, और न ही कोई नियुक्ति आदेश जारी किया गया है । व्यवहार न्यायालय कसडोल, बिलाईगढ़, भटगांव एवं सिमगा में सहायक ग्रेड–2, सहायक ग्रेड–3, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं भृत्य के लिए जारी नियुक्ति आदेश पूर्णतः फर्जी एवं झूठा है । जिसका खण्डन अध्यक्ष, चयन समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार द्वारा किया जाता है । जिला एवं सत्र न्यायालय, बलौदाबाजार द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश न्यायालय के वेबसाईट districts.ecours.gov.in/balodabazar में अपलोड किया जाता है। उक्त नियुक्ति आदेश की सत्यता के संबंध में न्यायालय के वेबसाईट districts.ecours.gov.in/balodabazar का अवलोकन किया जावें।

सही/–
अध्यक्ष,
चयन समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय
बलौदाबाजार (छ.ग.)